



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2017/चैत्र 1, 1939

No. 836]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2017/CHAITRA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

का.आ. 932(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 24.10.2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 3285 (अ) में गांधी रिसर्च फाउंडेशन, जलगांव, महाराष्ट्र को धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत 42.57 करोड़ रुपये की लागत की अधिकतम राशि को “42.57 करोड़ रुपये (कार्पस निधि)” के रूप में पढ़ा जाए ।

[सं. 6/2017/फा.सं. 27015/5/2016-एसओ (रा.स.)]

एस.आर. शर्मा, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)